न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—01 / 2018 / 225 (2018 / 00001)

1. कर्मचन्द पुत्र मोहन लाल जाति दरोगा निवासी ग्राम रारी तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर।
2. उम्मेद सिंह पुत्र मोहन लाल जाति दरोगा निवासी रारी तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर।
3. श्रीमती घीसी देवी पत्नि मोहन जाति दरोगा निवासी रारी तहसीलदार किशनगढ़ जिला अजमेर।
4. पुष्पा देवी पुत्री मोहन पत्नि पूरण सिंह जाति दरोगा निवासी रारी तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर हाल निवासी ग्राम चुरली तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर।
5. इन्द्रा देवी पुत्री मोहन लाल पत्नि भागचन्द जाति दरोगा निवासी ग्राम रारी तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर हाल निवासी ग्राम चुरली तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर।
6. मधु पुत्री मोहन पत्नि नाथू जाति दरोगा निवासी ग्राम रानी तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर हाल निवासी कृषि उपज मण्डी के पास,जयपुर रोड़, मदनगंज—किशनगढ़ जिला अजमेर।

अपीलांटस

बनाम

1. रामा देवी पत्नि सायर सिंह जाति दरोगा निवासी पुराना टेलीफोन एक्सचेन्ज के पास, पाटनी भवन, जयपुर रोड़, मदनगंज—किशनगढ़ जिला अजमेर।
2. मधु कंवर पुत्री सायर सिंह पत्नि रामसिंह जाति दरोगा निवासी हरगुन की नांगचलचरवाला पंवालिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर राज.।
3. संगीता कंवर पुत्री सायर सिंह पत्नि रतनसिंह जाति दरोगा निवासी हरगुन की नांगल चारवाला पंवालिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर, राज.।
4. रूप कंवर पुत्री सायरसिंह जाति दरोगा निवासी पुराना टेलीफोन एक्सचेन्ज के पास, पाटनी भवन, जयपुर रोड़, मदनगंज—किशनगढ़ जिला अजमेर।
5. उप—पंजियक विभाग जरिये उप—पंजीयक, किशनगढ़ तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, किशनगढ़ जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्टस

7. भंवरी देवी पुत्री मोहन पत्नि रामेश्वर जाति दरोगा निवासी रारी तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर हाल निवासी बड़का चारणवास तहसील दांता रामगढ़ जिला सीकर राज.।
8. सुगना देवी पुत्री मोहन पत्नि बनावारी जाति दरोगा निवासी रारी तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर हाल निवासी बड़का चारणवास तहसील दांता रामगढ़ जिला सीकर राज.।

प्रर्फोमा रेस्पोडेन्टस

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ दिनांक 29.11.2017 अंतर्गत प्रकरण संख्या 79/2015.

उपस्थितः—

1. श्री सुण्डा राम जाट, वकील अपीलांटस ।
2. श्री रामदेव चौधरी, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 04.
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट संख्या 5 ,6.
4. रेस्पोडेन्ट संख्या 7 से 8 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः— 19.07.2022

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के आदेश दिनांक 29.11.2017, प्रकरण संख्या 79/2015 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण ने एक मूल राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया इसके साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की कब्जे काश्त की पुश्तैनी भूमि ग्राम रारी तहसील किशनगढ़ स्थित कृषि भूमि जिसके वर्तमान खाता संख्या नया 120 पुराना 104 जिसके खसरा नम्बर 76 रकबा 08—08—00 बीघा भूमि है। जिसके सैटलमेन्ट खसरा नम्बर 345, 346, थे। इस भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त सम्वत 2010 से पूर्व से आज तक निरन्तर व लगातार चला आ रहा है तथा उक्त आवटित भूमि खसरा संख्या 76 के पुराने नम्बर खसरा नम्बर 345 व 346 है। खसरा परिवर्तनशील सम्वत 2015 से लगातार 2031 तक प्रार्थीगण के दादा गोविन्दा पुत्र नारायण दरोगा का कब्जा काश्त दर्शाया गया है इसके पश्चात् खसरा नम्बर 76 की खसरा परिवर्तनशील सम्वत 2031 से 2042 तक प्रार्थीगण के पिता/पति मोहन पुत्र गोविन्दा का कब्जा काश्त दर्शाया है। इसी प्रकार सम्वत 2029 व 2030 के खसरा परिवर्तनशील के कॉलम संख्या 1 में खसरा नम्बर 76 का गोविन्दा पुत्र नारायण को कॉलम संख्या 15 के अनुसार खातेदार दर्शाया गया है। इस प्रकार यह पूर्णतया स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि पर स्वर्गीय सायरसिंह को आवंटन किये जाने के पूर्व से ही उक्त भूमि पर प्रार्थीगण के पूवजों का कब्जा काश्त चला आ रहा था ऐसी स्थिति में सायर सिंह को जो भूमि आवंटित की गयी है वह प्रथम दृष्टया ही निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से यह पूर्णया स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के पूर्वजों के समय से ही उक्त वर्णित भूमि पर प्रार्थीगण के परिवार वालो का कब्जा काश्त चला आ रहा है इसलिए प्रार्थीगण ने यह वाद वास्ते खातेदारी घोषणा/दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। वादग्रस्त आराजी पर कभी भी सायरसिंह व अप्रार्थी संख्या 1 से 04 का कब्ज काश्त नहीं रहा है इस प्रकार सर्वप्रथम वाद कारण दिनांक 15.07.2015 को वादग्रस्त आराजी की

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व रिकार्ड की नकले प्राप्त की तब से लगातार जारी है। प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त पर कानूनन खातेदारी इन्द्राज को दुरूस्त करवाने हेतु अप्रार्थी संख्या 01 से 04 से मिले तो उन्होने वादग्रस्त भूमि से अपना नाम कलमजन करवा कर दुरूस्त करवाने से साफ इन्कार कर दिया तथा प्रार्थीगण को धमकि दी कि वादग्रस्त आराजी उनके नाम खातेदारी में दर्ज है। इस कारण वादग्रस्त भूमि का अप्रार्थी संख्या 01से 04 भूमि अन्य बैचान आदि कर देगे तथा लाठी के बल पर वादग्रस्त भूमि पर कब्जा प्रार्थीगण से प्राप्त कर लेगें।इस कारण प्रार्थीगण ने जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से अप्रार्थी संख्या 01से 04 व उनके नौकर चाकर अभिकर्ता को पाबंद करवाने के अधिकारी है। इस प्रकार प्रकरण पूर्णतया प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष मे है तथा सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय के बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। प्राथीगण के प्रार्थना पत्र को बाद जॉच रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलबी की गयी। तत्पश्चात अप्रार्थीगण संख्या 01से 04 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में अंकित कथनो को अस्वीकार कर प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया तथा अप्रार्थी संख्या 05 06 के जवाब की आवश्यकता नही होने के कारण जवाब बंद किया गया। तथा प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस एवं न्यायिक दृष्टांतो का मनन किया गया। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी के राजस्व प्रार्थना पत्र पर गौर किए बिना विधि विरूद्ध आदेश दिनांक 29.11.2017 को पारित किया इससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. पत्रावली में रिकार्ड प्राप्त होने पर अभिभाषकगण की बहस सुनी गई । रेस्पोडेन्ट संख्या 07 से 08 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुए।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि आवंटित भूमि पर उनके पूर्वाधिकारियो एवं उनका कब्जा काश्त लगातार है। राजस्व रिकार्ड के अनुसार आवंटी सायर सिंह का उक्त भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है। आवंटन आदेश के विरूद्ध जिला कलक्टर, अजमेर के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) भू–राजस्व अधिनियम कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत् अलॉटमेन्ट निरस्त के लिए प्रस्तुत कर रखा है। इस तथ्य को छिपाकर यह वाद पत्र एवं प्रार्थना पत्र पेश किया गया। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि वादग्रस्त सम्पति को वाद के निर्णय तक विवादों से सुरक्षित तथा संरक्षित रखने हेतु भी अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित आवश्यक न्याय संगत है। अपीलार्थीगण का प्रकरण समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं दस्तावेजो के आधार पर प्रथम दृष्टया पूर्णतया अपीलार्थीगण के पक्ष में है तथा सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति के बिन्दु भी पूर्णतया अपीलार्थीगण के पक्ष में है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के आदेश दिनांक 29.11.2017 को अपास्त कर प्रत्यर्थीगण संख्या 01से 04 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे ताफैसला मूल वाद के विवादित भूमि को किसी भी प्रकार रहन, दान, बैचान, हस्तातंरण नही आदि नहीं करे तथा किसी सरकारी विभाग, संस्था एवं बैक आदि को मोरगेज नहीं करें एवं उप–पंजीयन, किशनगढ को पाबंद किया जावे कि प्रकरण से सम्बन्धित दस्तावेजा का पंजीयन नहीं करें तथा मौके व राजस्व अभिलेख की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश प्रदान करावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01से 04 ने दौराने जवाब बहस में कथन किया कि अपीलांट केवल मात्र हैरान व परेशान करने की नियत से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया है जब कि इसका किसी भी प्रकार से कोई औचित्य नही है। अपीलांट के पूर्वाधिकारी मोहन पुत्र गोविन्दा जाति दरोगा द्वारा अलॉटमेन्ट जो अप्रार्थीगण के पूर्वाधिकार सायर सिंह के नाम किया गया था वरवक्त वहॉ उपस्थित था एवं आवेदन अलॉटमेन्ट हेतु पेश किया गया उसमें अपीलांट के पूर्वाधिकारी मोहन का अंगुठा निशानी की गयी है एवं स्वयं प्रार्थीगण/अपीलांट के पूर्वाधिकारी द्वारा आवेदन फार्म में यह अंकित किया गया है कि उक्त भूमि अप्रार्थीगण के पति/पिता के नाम आवंटन कर दी जावें। इस प्रकार के स्वीकृत तथ्य के विपरीत प्रार्थीगण/अपीलांट नहीं जा सकते है। उक्त आराजी पर अलॉटमेन्ट की दिनांक से अप्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी सायरसिंह पुत्र रामसिंह का कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण/अपीलांट ने धारा 15 के तहत् एवं हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत् खातेदारी अधिकार का अनुतोष चाहा गया है जब कि धारा 15 के तहत् खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते है एवं हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम उक्त आराजी पर लागू नहीं होते है। धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम के तीन महत्वपूर्ण घटक प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति के विन्दु को सिद्ध करना आवश्यक है। जबकि अपीलांटस न तो रिकार्डेड खातेदार है, न ही मौके पर कब्जा काश्त हैं।मान्नीय उच्चतर न्यायालयों ने अपने अनेक निर्णयों में प्रतिपादित किया है कि रिकार्डेड खातेदार को अस्थायी निषेधज्ञा के आधार पर कब्जा विहिन एवं उपयोग विहिन नहीं किया जा सकता है तथा जहॉ व्यक्ति द्वारा विवादित भूमि पर कब्जा नहीं हो वहॉ अस्थायी निषेधाज्ञा पारित नहीं की जा सकता है। इस प्रकार उक्त प्रकरण में वादिया मौके पर किसी प्रकार काबिज काश्त नही है एवं न ही रिकार्डेड खातेदार है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 29.11.2017 में पक्षकारान को जवाब व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम के तीनों घटको का विस्तृत विवेचन करते हुए आदेश पारित किये है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस खारिज फरमायी जावें।

6. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 76 रकबा 8 वीघा 8 विस्वा वाकै ग्राम रारी तहसील किशनगढ दिनांक 18.06.1985 को सायरसिंह पुत्र जसकरण दरोगा के नाम अलॉटमेन्ट हुई। अभिभाषक अपीलांट का यह कथन है कि विवादित आराजी पर प्रार्थीगण के पूर्वज गोविन्दा वल्द नारायण दरोगा का सम्वत् 2010 से पूर्व से कब्जा काश्त था तथा उसके पश्चात वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण के पूर्वज गोविन्दा व प्रार्थीगण के पिता मोहन का कब्जा काश्त था। उक्त कब्जे बाबत् अपीलांट ने न्यायालय हाजा के समक्ष एवं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई दस्तावेज पेश नहीं किये है, इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट संख्या 01से 04 ने कब्जे एवं रिकार्ड से सम्बन्धित खसरा गिरदावरी सम्वत् 2031 से 2034, जमाबंदी सम्वत् 2046 से 2049, 2050 से 2053 2055 से 2056 की प्रतियॉ अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है। मान्नीय राजस्व मण्डल द्वारा वगडावतसिंह बनाम रामवीरसिंह, आर.बी.जे. 2003 पेज 497 में प्रतिपादित किया है कि रिकार्डेड खातेदार को अस्थायी निषेधाज्ञा के आधार पर कब्जा विहिन एवं उपभोग विहिन नहीं किया जा सकता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

जहाँ व्यक्ति द्वारा कब्जा नहीं हो वहाँ अस्थायी निषेधाज्ञा पारित नहीं की जा सकती है। प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पोडेन्ट विवादित आराजी के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिनको किसी भी प्रकार से अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.11.2017 विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यता प्रतीत नहीं होती है। अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज योग्य है।

7. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी,किशनगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.11.2017 यथावत् रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 19.07.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर